

[To be published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (i)]

Government of India  
MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

**Notification**

New Delhi, 19<sup>th</sup> July, 2016.

G.S.R. ....(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 469 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Companies (Share Capital and Debentures) Rules, 2014, namely:—

1. (1) These rules may be called the Companies (Share Capital and Debentures) Third Amendment Rules, 2016.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Companies (Share Capital and Debentures) Rules, 2014, (herein after referred to as the principal rules), in rule 4, in sub-rule (1), after sub-clause (g), the following proviso shall be inserted, namely:-

“Provided that a company may issue equity shares with differential rights upon expiry of five years from the end of the financial year in which such default was made good.”.

3. In the principal rules, in rule 8, in sub-rule (4), after the first proviso, the following proviso shall be inserted, namely:-

“Provided further that a startup company, as defined in notification number GSR 180(E) dated 17<sup>th</sup> February, 2016 issued by the Department of Industrial Policy and Promotion, Ministry of Commerce and Industry, Government of India, may issue sweat equity shares not exceeding fifty percent of its paid up capital upto five years from the date of its incorporation or registration.”.

4. In the principal rules, in rule 12, in sub-rule(1), in clause (c), after sub-clause (ii), the following proviso shall be inserted, namely.-

“Provided that in case of a startup company, as defined in notification number GSR 180(E) dated 17<sup>th</sup> February, 2016 issued by the Department of Industrial Policy and Promotion, Ministry of Commerce and Industry Government of India, Government of India, the conditions mentioned in sub-clause (i) and (ii) shall not apply upto five years from the date of its incorporation or registration.”.

5. In the principal rules, in rule 13, in sub-rule (2),-

(i) clause (c) shall be omitted.

(ii) for clause (h), the following clause shall be substituted, namely:-

“(h) where convertible securities are offered on a preferential basis with an option to apply for and get equity shares allotted, the price of the resultant shares pursuant to conversion shall be determined-

(i) either upfront at the time when the offer of convertible securities is made, on the basis of valuation report of the registered valuer given at the stage of such offer, or

(ii) at the time, which shall not be earlier than thirty days to the date when the holder of convertible security becomes entitled to apply for shares, on the basis of valuation report of the registered valuer given not earlier than sixty days of the date when the holder of convertible security becomes entitled to apply for shares:

Provided that the company shall take a decision on sub-clauses (i) or (ii) at the time of offer of convertible security itself and make such disclosure under sub-clause (v) of clause (d) of sub-rule (2) of this rule.”.

6. In the principal rules, in rule 15, after the words “or a company redeems any redeemable preference shares”, the words “or a company not having share capital increases number of its members” shall be inserted.



7. In the principal rules, in rule 18,-

(A) in sub-rule (1),-

(a) for clause (b), the following clause shall be substituted, namely:-

“(b) Such an issue of debentures shall be secured by the creation of a charge on the properties or assets of the company or its subsidiaries or its holding company or its associate companies, having a value which is sufficient for the due repayment of the amount of debentures and interest thereon.”;

(b) in clause (d), for sub-clause (i), the following sub-clause shall be substituted, namely.-

“(i) any specific movable property of the company or its holding company or subsidiaries or associate companies or otherwise.”;


(B) in sub-rule (7),-

(a) in clause (b), in sub-clause (ii) and (iii) for the words “of the value of debentures” wherever they occur, the words “of the value of outstanding debentures” shall be substituted;

(b) in clause (b), after sub-clause (iii), the following proviso shall be inserted, namely:-

“Provided that where a company intends to redeem its debentures prematurely, it may provide for transfer of such amount in Debenture Redemption Reserve as is necessary for redemption of such debentures even if it exceeds the limits specified in this sub-rule.”.

[F.No. 01/04/2013 CL-V (part-II)]

  
19/07/2016

Amardeep Singh Bhatia, Jt. Secy.

Note:- The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (i) *vide* number G.S.R. 265(E), dated 31<sup>st</sup> March, 2014 and subsequently amended *vide* notifications as detailed below:-

Sl.No.	Notification number	Date
1.	G.S.R. 413 (E)	18.06.2014
2.	G.S.R. 210 (E)	18.03.2015
3.	G.S.R. 439 (E)	29.05.2015
4.	G.S.R. 841 (E)	06.11.2015
5.	G.S.R. 290 (E)	10.03.2016
	G.S.R. 252 (E)	22.03.2016

भारत सरकार  
कारपोरेट कार्य मंत्रालय  
अधिसूचना

नई दिल्ली, तारीख 19 जुलाई, 2016

सा.का.नि. (अ). - केन्द्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 469 की उपधारा (1) और उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कंपनी (शेयरपूँजी और डिबेंचर) नियम, 2014 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कंपनी (शेयरपूँजी और डिबेंचर) तीसरा संशोधन नियम, 2016 है।

(2) ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. कंपनी (शेयरपूँजी और डिबेंचर) नियम, 2014 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है) के नियम 4 के उपनियम (1) के उपखंड (छ) के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“परंतु कोई कंपनी, उस वित्तीय वर्ष के अंत में जिसमें ऐसी चूक का सुधार किया गया था पांच वर्ष समाप्त होने पर विशिष्ट अधिकारों के साथ इक्विटी शेयर जारी कर सकेगी।”।

3. मूल नियमों के नियम 8 के उपनियम (4) के पहले परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“परंतु यह और कि औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 180(अ) तारीख 17 फरवरी, 2016 में यथापरिभाषित कोई स्टार्टअप कंपनी अपने निगमन अथवा रजिस्ट्रीकरण की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक उसे संदत्त पूँजी के पचास प्रतिशत से अनाधिक की स्वेट इक्विटी शेयर जारी कर सकेगी।”।

4. मूल नियमों के नियम 12 के उपनियम (1) के खंड (ग) के उपखंड (ii) के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“परंतु यह और कि औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 180(अ) तारीख दिनांक 17 फरवरी, 2016 में यथापरिभाषित कोई स्टार्टअप कंपनी की दशा में उपखंड (i) और उपखंड (ii) में



उल्लिखित शर्तें उसके निगमन अथवा रजिस्ट्रीकरण की तारीख से पांच वर्ष तक लागू नहीं होंगी”।

5. मूल नियमों के नियम 13 के उपनियम (2) में,-

(i) खंड (ग) का लोप किया जाएगा।

(ii) खंड (ज) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :-

“(ज) जहां इक्विटी शेयरों के आबंटन के लिए आवेदन करने और उसे प्राप्त करने के विकल्प के साथ अधिमानी आधार पर संपरिवर्तनीय प्रतिभूतियों का प्रस्ताव किया जाता है वहां संपरिवर्तन के अनुसरण में परिणामी शेयरों का मूल्य निम्नानुसार निर्धारित किया जाएगा -

(i) ऐसे प्रस्ताव के चरण में दिए गए रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक के मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर संपरिवर्तनीय प्रतिभूतियों के प्रस्ताव के समय, अथवा

(ii) ऐसे समय पर, जो संपरिवर्तनीय प्रतिभूतिधारक के शेयरों हेतु आवेदन करने के हकदार होने की तारीख से अधिकतम तीस दिन से पहले नहीं होगी, रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक के मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर जो संपरिवर्तनीय प्रतिभूतिधारक के शेयरों हेतु आवेदन करने का हकदार होने की तारीख से साठ दिनों से अधिक पहले का न हो।

परंतु कंपनी उपखंड (i) अथवा उपखंड (ii) पर संपरिवर्तनीय प्रतिभूति के प्रस्ताव करते समय निर्णय लेगी और इस नियम के उपनियम (2) के खंड (घ) के उपखंड (v) के अधीन ऐसा प्रकटीकरण करेगी।

6. मूल नियमों के नियम 15 में “अथवा एक कंपनी मोचन योग्य किन्हीं अधिमानी शेयरों का मोचन करती है” शब्दों के पश्चात् “या किसी कंपनी के पास उसके सदस्यों की संख्या बढ़ाने के लिए शेयरपूंजी नहीं है वह” शब्द अंतःस्तापित किए जाएंगे।

7. मूल नियमों के नियम 18 में,-

(अ) उपनियम (1) में,-

(क) खंड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

“(ग) डिबेंचरों का ऐसा निर्गमन कंपनी या उसकी अनुषंगी कंपनियों या नियंत्री कंपनी या उसकी सहयोगी कंपनियों की संपत्तियों और आस्तियों पर ऐसे मूल्य व प्रभार सृजित करके

प्रतिभूत किया जाएगा जो मूल्य डिबेंचरों और उसके ब्याज की राशि रकम का सम्यन प्रतिपूर्ति के लिए पर्याप्त है।

(ख) खंड (घ) के उपखंड (i) के स्थान पर निम्नलिखित उपखंड रखा जाएगा, अर्थात् :-

(i) कंपनी या उसकी नियंत्री कंपनी या अनुषंगी कंपनियां अथवा सहयोगी कंपनियों या अन्य की कोई विनिर्दिष्ट जंगम संपत्ति।

(आ) उपनियम (7) में,-

(क) खंड (ख) के उपखंड (ii) और उपखंड (iii) में "डिबेंचरों के मूल्य का" शब्दों के स्थान पर, जहां भी वे आते हैं "परादेय डिबेंचरों के मूल्य का" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) खंड (ख) के उपखंड (iii) के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"परंतु जहां कोई कंपनी अपने डिबेंचरों का समय से पूर्व मोचन करना चाहती है वहां वह डिबेंचर मोचन आरक्षिती में ऐसी रकम के अंतरण का उपबंध कर सकेगी जो इस उपनियम में विनिर्दिष्ट सीमा से अधिक होने पर भी ऐसे डिबेंचरों के मोचन के लिए आवश्यक है"।

[फा.सं. 1/4/2013-सीएल-V (पार्ट-II)]

अमरदीप

19/07/2014

अमरदीप सिंह भाटिया,

संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. संख्या 265(अ), तारीख 31 मार्च, 2014 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उसमें निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा पश्चातवर्ती संशोधन किए गए थे -

क्र.सं.	अधिसूचना संख्या	तारीख
1	सा.का.नि.413(अ)	18.06.2014
2	सा.का.नि.210(अ)	18.03.2015
3	सा.का.नि.439(अ)	29.05.2015
4	सा.का.नि.841(अ)	06.11.2015
5	सा.का.नि.290(अ)	10.03.2016
6	सा.का.नि.358(अ)	29.03.2016